Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में धोखाधडी करने की घटना कारित करने के आरोपी राहुल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 05 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राहुल पुत्र जवाहर सिंह निवासी पट्टी शाहजहांपुर कस्बा खेकडा जनपद बागपत के द्वारा फर्जी कम्पनी खोलकर वादी के धोखाधडी से रुपये जमा करवा लेना तथा वापस न करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 114/2009 धारा 406/420 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 13.08.2026 को मा0 न्यायालय सीजे(एसडी) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राहुल को दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

श्री अभीराम गौतम अभियोजन अधिकारी

उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह विवेचक

का0 आदित्य कुमार कोर्टपैराकार

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 14.08.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामिया एवं गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 स्प्लेंडर एनएक्सजी मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही

अवगत कराना है कि दिनांक 13.08.2026 को समय लगभग 23:40 बजे थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा मुबारिकपुर गेट के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर मुबारिकपुर गांव की ओर से आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी से रुकने का इशारा किए जाने पर वह नहीं रुका तथा मोटरसाइकिल को तेजी से मोड़कर वापस मुबारिकपुर गांव की ओर भागने लगा। इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। मोटरसाइकिल गिरते ही उक्त व्यक्ति द्वारा अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम शाहनवाज उर्फ टक्कर पुत्र अकरम निवासी ठेके के पास, कस्बा रटोल, थाना खेकड़ा, जनपद बागपत बताया। अभियुक्त के कब्जे से एक

अवैध तमंचा .315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस .315 बोर तथा एक स्प्लेंडर एनएक्सजी मोटरसाइकिल (काले रंग की, बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खेकड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 219/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था तथा उस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था।

उक्त घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाहनवाज उर्फ टक्कर पुत्र अकरम निवासी ठेके के पास, कस्बा रटोल, थाना खेकड़ा, जनपद बागपत ।(घायल)

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 स्प्लेंडर एनएक्सजी मोटरसाइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त शाहनवाज का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 338/2020 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत
2.मु0अ0सं0 73/23 धारा 380/457,120बी भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
3.मु0अ0सं0 66/23 धारा 380 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
4.मु0अ0सं0 345/24 धारा 305,331(4),317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत
5.मु0अ0सं0 238/24 धारा 115(2),126(2),131,351(2),352 बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत
6.मु0अ0सं0 154/25 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत
7.मु0अ0सं0 176/25 धारा 303(2),317(2) BNS थाना खेकडा जनपद बागपत
8.मु0अ0सं0 359/25 धारा 303(2),317(2),317(5) BNS थाना खेकडा जनपद बागपत
9.मु0अ0सं0 149/25 धारा 303(2),317(2) BNS थाना छपरौली जनपद बागपत
10.निवा0सं0 03/25 धारा 03 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत

11.मु0अ0सं0 362/25 धारा 3,10 यूपी गुण्डा अधिनियम, 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत

12.मु0अ0सं0 33/26 धारा 304(2) ,317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत

13.मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(a),331(4),317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत

14.मु0अ0सं0 219/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री आशीष कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

4-उ0नि0 श्री सुजीत कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

5-है0का0 938 मनीष कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

6-है0का0 489 सुनील कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

7-है0का0 411 सतीश कपासिया थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

8-है0का0 741 टिंकू भाटी थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

9-का0 997 सोनू यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना - चांदीनगर दिनाँक 13.08.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 92/26 धारा 140(3) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 01 अभियुक्त उज्ज्वल को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर गुमशुदा दोनों व्यक्तियों के शव बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 29.07.26 को थाना बिनौली पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि वादिया का भाई अंकित पुत्र मुकेश उम्र करीब 27 वर्ष व इसरार पुत्र रिडकू दिनांक 25.07.26 की दोपहर 12.00 बजे इसरार उपरोक्त के साथ उसकी मो0सा0 जिसका न0 UP17X7326 से घर से बिना बताए कहीं चले गये है। इस सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 92/26 धारा 140(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा दिनांक 13.08.26 को विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त उज्ज्वल पुत्र मनोज निवासी ग्राम पूरनपुर नवादा थाना चांदीनगर बागपत को गिरफ्तार किया गया जिसकी निशांदेही पर दोनों गुमशुदा 1. अंकित पुत्र मुकेश व 2. इसरार पुत्र रिडकू का शव ग्राम लहचौडा के गणेश मन्दिर परिसर से बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की गयी व मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(3) बीएनएस का लोप कर धारा 103(1)/238ए/395) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

नोट- थाना चांदीनगर पुलिस टीम अभियुक्त कृष्णा पुत्र उदयभान निवासी धुम्मा भुलन्दी पोखरा जनपद जोनपुर को हिरासत में लेकर जनपद जोनपुर से आ रही है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 92/26 धारा 140(3) बीएनएस तरमीम धारा 103(1)/238ए/395) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 01 अभियुक्त उज्ज्वल को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही पर गुमशुदा दोनों व्यक्तियों के शव बरामद हुए है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

उज्ज्वल पुत्र मनोज निवासी ग्राम पूरनपुर नवादा थाना चांदीनगर बागपत उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह - थाना चांदीनगर जनपद बागपत

2-का0 209 मनीष कुमार - थाना चांदीनगर जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत   दिनांक 13.08.2026

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 435/26 धारा 108 बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.06.2026 को थाना बडौत पर आवेदक रोहित पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 02 महिलाओं व आकाश के द्वारा आवेदक के भाई मोहित को 7 लाख रुपये देने के लिये मानसिक रूप से प्रताडित करना व मांग पूरी न करने पर दहेज के झूठे मुकदमे मे मोहित व उसके परिवार को फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देकर प्रताडित कर आत्महत्या करने के लिये उकसाना, जिससे तंग आकर आवेदक के भाई मोहित कुमार के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 435/26 धारा 108 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 435/26 धारा 108 बी.एन.एस में वांछित 01 अभियुक्ता को दिनांक 12.08.2026 समय 18.00 बजे रेलवे स्टेशन बड़ौत प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पताः-

एक महिला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-निरीक्षक अपराध श्री मधुर श्याम सिंह थाना बडौत, बागपत

2-म0उ0नि0 नीतू सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-म0उ0नि0 रीतू काजल थाना बड़ौत जनपद बागपत।